जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
तृतीय तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

463

Ref - BRLPS/Proj-IBCB/1972/21/2735 Date - 6/10/2025

कार्यालय आदेश

(कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी का संशोधित मानदेय)

कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-OF/464/13/2886, दिनांक 04.08.2023 के आधार पर कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी मानदेय भुगतान किया जा रहा था। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 4254340 दिनांक 25.06.2025 के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) संपोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को निर्धारित शर्तों पर दोगुना किया गया है। यह संशोधित मानदेय 1 जुलाई 2025 से लागू है। सामुदायिक संसाधन सेवी के रूप में कार्यरत कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी (PRP) को संशोधित मानदेय का भुगतान संलग्न **मैट्रिक्स (अनुलग्नक-'I')** के अनुसार किया जाएगा। इसके पूर्व का मानदेय भुगतान कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-OF/464/13/2886, दिनांक: 04.08.2023 के अनुसार होगा। **कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी (PRP) का संशोधित मानदेय के भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जाते है:-**

1. संकुल स्तरीय संगठन कुक्कुट संसाधन सेवी के साथ 11 महीना का एकरारनामा करेगा।
2. संकुल स्तरीय संगठन कुक्कुट संसाधन सेवी के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करने के पश्चात कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-OF/464/13/2886, दिनांक 04.08.2023 में अंकित अवधि एवं बजटीय प्रावधान के अनुसार ही एकरारनामा का नवीकरण करेगा।
3. कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी द्वारा मदर यूनिट की देखभाल एवं मदर यूनिट में चूजों के टीकाकरण का कार्य संपादित करते हुए संबंधित पुस्तकों को ससमय संधारण सुनिश्चित किया जाएगा।
4. कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी द्वारा प्रत्येक सप्ताह उन घरों का विजिट किया जाएगा जिन परिवारों को चूजा वितरण किया गया है एवं चूजों का टीकाकरण, विकृमिनाशन तथा अन्य आवश्यक देखभाल सुनिश्चित किया जाएगा और संबंधित रिकॉर्ड पंजी को ससमय पर अद्यतन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी का मासिक प्रतिवेदन संकुल स्तरीय संगठन में जमा किया जाएगा।
6. कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/231/11/838 दिनांक 28.05.2012 में अंकित कार्य एवं जिम्मेवारी कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी पर लागू होगा।
7. कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी के मासिक मानदेय भुगतान एवं त्रैमासिक आतंरिक वित्तीय अंकेक्षण को जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
8. कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी के चयन हेतु जिला परियोजना प्रबंधक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला परियोजना प्रबंधक उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त

6/x/25

(हिमांशु शर्मा)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सह- राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि-

1. सभी राज्य स्तरीय अधिकारी।
2. सभी जिला स्तरीय कर्मी।
3. सभी प्रखण्ड स्तरीय कर्मी।
4. सभी ग्राम संगठन।
5. संबंधित संचिका।

442

अनुलग्नक-I

संशोधित मानदेय मैट्रिक्स (दिनांक 01.07.2025 से)			
कुक्कुट (पोल्ट्री) संसाधन सेवी का मानदेय			
अवधि	मानदेय (30.06.2025 तक)	संशोधित मानदेय (01.07.2025 से)	परियोजना अंशदान
12 महीनों के लिए	3200	6400	6400

6/7/25

(हिमांशु शर्मा)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सह- राज्य मिशन निदेशक